



पत्रांक:—आर0एम0पी0यू0 / 2053 / 2023

दिनांक: 22 जुलाई, 2023

सेवा में

प्रबन्धक,

श्रीमती केला देवी शर्मा महाविद्यालय,

अबूनासिरपुर, (ऊनासिर) अतरौली, अलीगढ़।

विषय: प्रबन्ध समिति निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजात के आधार पर दिनांक: 18.11.2022 को महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। श्री बनवारी लाल शर्मा, उपाध्यक्ष द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर आपसे विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक: 22 मई, 2023 एवं 02 जून, 2023 द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया परन्तु आपके द्वारा विश्वविद्यालय के उपर्युक्त दोनों पत्रों का उत्तर नहीं दिया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत में बल पाते हुए तथा आपके द्वारा कोई उत्तर/स्पष्टीकरण न दिये जाने के फलस्वरूप मा0 कुलपति जी द्वारा पूर्व में दिनांक: 18 नवम्बर, 2022 को दिये गये प्रबन्ध समिति अनुमोदन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, चिट्स की अनुमोदित सूची के आधार पर विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक की देख-रेख में प्रबन्ध समिति का पुनः चुनाव कराकर पत्रावली प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेश कुमार)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

सहा0 कुलसचिव